(1)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था./2023 रायपुर, दिनांक / /2023

//कार्यालय-सूचना//

आदेशानुसार, **रविवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2023** को **डॉ.बी.आर. अम्बेडकर की 125 वीं जयंती** के अवसर पर **"संविधान दिवस"** को मनाये जाने हेतु भारत के संविधान की **"उद्देशिका"** का सामूहिक पठन किया जाना है।

अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने घरों में ही भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा निर्मित वेब पोर्टल **readpreamble.nic.in** के माध्यम से उक्त दिवस को अपने पारिवारिक सदस्य एवं मित्रों के साथ भारत के संविधान की **"उद्देशिका"** का सामूहिक पठन कर सकते है। संविधान की **"उद्देशिका"** की प्रति छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों संबंधी **Whatsapp Group** में भी कार्यालय-सूचना की प्रति के साथ उपलब्ध कराई जावेगी।

उक्त अवसर पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि किसी प्रकार आदर्श आचार संहिता हेतु जारी निर्देशों का उल्लंघन न हो।

आदेश से,

हस्ता/-

संचालक,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 10508 /वि.स./स्था./2023 रायपुर, दिनांक 24/11 /2023

प्रतिलिपिः-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. सचिव, छ.ग. विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
04. सर्वर कक्ष।

संचालक,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

C:\Users\Dell\Desktop\notesheet 2023 SUCHNA 2023.docx366

उद्देशिका

हम, भारत के लोग,

भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी

पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बनाने के लिए,

तथा उसके समस्त नागरिकों कोः

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार,

अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता,

सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख

26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत

दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को

अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।